(14)

संख्या– 199 बी.पी./35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 07 अगस्त, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन शासनादेश संख्या–44 बीपी (1)/35–1–2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से कृषि विकास से सम्बन्धित निम्नांकित परियोजनाओं हेतु उनके सामने इंगित लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 861.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू 62.41 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। अतः पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सीमा के अंतर्गत रहते हुए रू. 1147.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सैतालिस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(करोड़ रू. में)

| | परियोजना का नाम | अनुमोदित लागत | | | | वर्ष 2013–14 में व्यय ए.सी.ए. | वर्ष 2014–15 के लिये अवमुक्त एसीए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | कुल में | | | | |
| | | | ए.सी.ए. अंश | राज्यांश | लाभार्थी अंश | | |
| 1 | चैक डैम का निर्माण | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
| 2 | स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली | 87.62 | 43.81 | 23.86 | 19.95 | 0.62 | 4.19 |
| | **योग** | **131.72** | **87.91** | **23.86** | **19.95** | **0.62** | **11.47** |

1– संदर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2– इस शासनादेश से उक्त कार्यो हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यो को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3– राज्यांश तथा लाभार्थी अंश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का

पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

2– स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट के अनुदान संख्या–40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत सुसंगत मदो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–2457/दस–2014–231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुकम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

( पुष्पा सिंह )
विशेष सचिव।

**संख्याः 199 (1)बीपी/35–1/2014, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग ।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट/लखनऊ।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

( पुष्पा सिंह )
विशेष सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्याः 199 बीपी/35–1–2014, दिनांक 07 अगस्त, 2014 का संलग्नक

( हजार रू. में )

| मद | अवमुक्त धनराशि | लेखाशीर्ष |
|---|---|---|
| स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली | 41900 | लेखाशीर्ष–2575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम–आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं –16– स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का वितरण–27–सब्सिडी |
| चैक डैम का निर्माण | 72800 | लेखाशीर्ष–4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं–83–चेक डैमों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य |
| **योग** | **114700** | **( रूपये ग्यारह करोड़ सैतालिस लाख मात्र )** |

( पुष्पा सिंह )
विशेष सचिव,नियोजन।